202505021800004/A-62/24-25
14/A-62/2024-25

02/05/2025

– प्रकरण लंबित अवस्था में प्राप्त।
– प्रकरण का अवलोकन किया गया।
– आवेदिका आरती देवी पति आरेन्द्र प्रसाद केशरी निवासी केनाबांध वार्ड कमांक 22 विधायकगली संजयनाथ के घर क पास अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदिका का मकान केनाबांध महापौर गली अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा कमांक 2115/22 रकबा 0.034 हे0 भूमि पर स्थित 01 नग जामुन एवं 01 नग गुलमोहर का वृक्ष अनावेदिका केवला देवी पति जगत राम निवासी केनाबांध महापौर गली अम्बिकापुर के द्वारा आवेदिका की उपरोक्त बचत भूमि पर जबरन लगा दिया गया है। आवेदित वृक्ष काफी कमजोर होने के साथ–साथ आवेदिका के मकान में घुस गया है जो कभी भी दीवार को फाड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदिका के द्वारा आवेदित वृक्षों को काटवाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

– आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में तहसीलदार अम्बिकापुर से प्रकरण जांच प्रतिवेदन सहित प्राप्त। तहसीलदार अम्बिकापुर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदिका की भूमि खसरा कमांक 2115/22 रकबा 0.034 हे0 भूमि पर जामुन एवं गुलमोहर का वृक्ष नहीं है, आवेदिका जिस वृक्ष को काटना चाहती है वह वृक्ष आवेदिका के भूमि के दक्षिण दिशा में केवला देवी पति जगत राम के भूमि पर स्थित है। केवला देवी आवेदित वृक्ष को काटना नहीं चाहती है, वृक्ष के तने का भाग आवेदिका के भूमि पर है तथा आवेदिका के मकान के दिवार से सटा हुआ है।
– मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन में उल्लेखित तथ्य गलत है मौके पर गुलमोहर तथा जामुन के वृक्ष नहीं है आवेदिका के भूमि पर स्थित वृक्ष से संपत्ति एवं जनहानि होने का भी विवरण नहीं है जो कि संलग्न तस्वीर से भी स्पष्ट होता है।
– अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है।
– प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा0द0 करें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अम्बिकापुर, सरगुजा